# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

e-mail: dfo_ramnagar@rediffmail.com
दूरभाष / फैक्स नं0 05947–251362

पत्रांक – 141 / 12-1 रामनगर दिनांक, 15/7/2017

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
रामनगर (नैनीताल)।

**विषयः–** **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर, कोसी नदी में प्रदूषण नियंत्रण हेतु 0.9488 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बंध में– डिमान्ड नोट प्रेषण बाबत्।**

**सन्दर्भः–** **भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र संख्या 8बी0 / यू0सी0पी0 / 09 / 14 / 2017 / एफ0सी0 / 510 दिनांक 30.06.2017 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फौरेस्ट कॉलोनी देहरादून (उत्तराखण्ड) की पत्र संख्या 74/FP/UK/0thers/21811/2016 दिनांक 10.07.2017 ।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा विषयांकित कार्य हेतु वन भूमि 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन निम्नानुसार किया जाना है:–

**1–** शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 280 वृक्षों के 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रू0 2,80,000.00 (दो लाख अस्सी हजार) मात्र की धनराशि जमा की जानी है।

**2–** शर्त संख्या 2 के अनुपालन में रू0 9,85,426.00 (नौ लाख पिचासी हजार चार सौ छब्बीस) मात्र एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जानी है।

**3–** शर्त संख्या 3 व 4 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में वृक्षारोपण किया जायेगा। तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

**4–** शर्त संख्या 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 1 व शर्त संख्या 2 में देय धनराशियों को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से Compensatory Afforestation Funds(CAF) Uttaranchal SB A/C No.- 037100101025229 , कार्पोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा करने का कष्ट करें। आर0टी0जी0एस0 हेतु कार्पोरेश बैक का IFSC Code- CORP0000371, MICR Code- 110017007 एवं Brach Code- 000371 हैं। कार्पोरेशन बैंक की लोदी रोड शाखा में जमा कराई गयी धनराशि की पुष्टि हेतु कार्पोरेशन बैंक द्वारा जारी पुस्तिका पत्र में UTR No. भी इस कार्यालय को

क्रमशः..................

Scanned by CamScanner

उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि इसकी सूचना उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रश्नगत् प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के forestclearence.nic.in पर ऑनलाईन अपने यूजर एकाउंट में जाकर stage II Clearence में पहले mutation की detail (यदि लागू हो) भरकर एवं समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या ऑनलाईन प्रेषित की जानी है।

अतः भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा प्रदत्त सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। सुस्पष्ट परिपालन आख्या उपलब्ध होने पर उच्च स्तर को सन्दर्भित किया जायेगा।

भवदीया

**(नेहा वर्मा)**
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग,रामनगर

**पत्रांक / दिनांकितः**

**प्रतिलिपिः–** अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड) को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः–** वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी (उत्तराखण्ड) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**(नेहा वर्मा)**
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग,रामनगर

Scanned by CamScanner